IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
CRIMINAL MISCELLANEOUS No.51596 of 2023

Arising Out of PS. Case No.-220 Year-2020 Thana- SASARAM MUFFSIL District- Rohtas

==========

BINESHARI PRASAD @ VINDESHWARI SAH @ BINDESHWARI PRASAD SON OF MAHAVIR PRASAD RESIDENT OF VILLAGE-DHAWANI, PS- KARAKAT, DISTT- ROHTAS

... ... Petitioner/s

Versus

The State of Bihar BIHAR

... ... Opposite Party/s

==========

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr.Vijay Anand
For the Opposite Party/s : Mr.Yogendra Kumar

==========

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE SANDEEP KUMAR

ORAL ORDER

2 07-08-2023 Heard the parties.

This application has been filed for quashing the order dated 15.06.2023 passed by ADJ. IX, Sasaram at Rohtas in Sessions Trial No. 93 of 2023 arising out of Sasaram (Muffasil) P.S. Case No. 220 of 2020.

By the impugned order dated 15.06.2023 the discharge application of the petitioner has been rejected and the learned Additional Sessions Judge has held in Paragraph III and IV of the impugned order as follows:-

"उभयपक्षो को सुना। सत्र विचारण वाद 27/2022, जो कि इसी घटना से सम्बंधित है और इसी न्यायालय में आज की तिथि में लंबित है, में स्थित मूल वाद दैनिकी एवं प्रस्तुत सत्र बाद में पूरक वाद दैनिकी का

WEB COPY

अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला धारा 302 सहपठित 34 भा०दं०वि० के अंतर्गत कुल – 4 अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज है, जिसमें आवेदक / अभियुक्त भी नामित है। मूल वाद दैनिकी के कंडिका–8 में सूचक का पुनर्बयान कंडिका– 13,14,25 एवं 26 में साक्षियों का बयान वर्णित है, जिसमें उनके द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा घटित घटना में आवेदक / अभियुक्त की संलिप्तता की बात स्पष्ट रूप से कही गयी है। इन साक्षियों द्वारा अपने बयान में यह भी कहा गया कि जमीन विवाद के कारण सूचक के छोटे लड़के की हत्या कर दी गयी एवं साजिश के तहत उक्त हत्या को सड़क दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त इन साक्षियों ने अपने बयान यह भी अभिकथित किया, कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी जख्म दिखाई नहीं दे रहा था तथा मृतक के मोटरसाईकिल एवं हेलमेट में किसी प्रकार का कोई खरोंच नहीं था, इससे स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु सडक दुर्घटना में नहीं हुई। मूल बाद दैनिकी की कंडिका–60 में मृतक का अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन वर्णित है, जिसमें मृतक के मृत्यु का कारण "हाईपो पैथो लॉजिकल परीक्षण" से कैमिकल रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर निर्धारित किये जाने का तथ्य वर्णित है। वाद दैनिकी के कंडिका –63 में नामित दो सह–अभियुक्तों के विरूद्ध घटना सत्य पाते हुए, धारा 302,201 / 34

WEB COPY

भा०द०वि० के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया तथा वर्तमान में इन दोनों सहअभियुक्तों के विरूद्ध वर्णित धाराओं में आरोप का गठन कर अभियोजन साक्ष्य क्रम में सत्र विचारण सं0–27 / 2022 के रूप में लंबित है। आवेदक के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा गया है। पूरक वाद दैनिकी के कंडिका–97 में आवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध भी कांड को सत्य पाते हुए, वर्णित धाराओं के अंतर्गत पूरक आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। विधि का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि आरोप गठन के स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का सूक्ष्म परीक्षण गुण–दोष के आधार पर नहीं किया जाए, अपितु उपलब्ध सामग्री के द्वारा प्रथम दृष्ट्या मामला आवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध बनता है या नहीं, यह ही पर्याप्त है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मुकदमे की शुरूआत और प्रारंभिक चरण में अभियोजन पक्ष जो सबूत पेश करना चाहते हैं, उसकी सत्यता औरसाक्ष्य को आरोप गठन के स्तर पर सूक्ष्मता एवं गुण–दोष के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। न्यायालय यह नहीं देखेगा कि अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं या यदि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य है , तो क्या मुकदमें का दोषसिद्धि में समाग्र होना निश्चित है , बल्कि न्यायालय प्रथम् दृष्ट्या यह मान सकता है कि आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध मामला मौजूद है और यह भी माना जा सकता है कि आरोपी ने अपराध किया है।

WEB COPY

वर्तमान मामले में सूचक और गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन और पुष्टि की है और आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के मामले को सही पाते हुए पूरक आरोप–पत्र समर्पित किया है। मेरे विचार से उपरोक्त सभी वर्णित धाराओं में आवेदक / अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।"

From reading of the aforesaid, it appears that after filing of the discharge application, the petitioner has been heard and thereafter by a detailed order the discharge application of the petitioner has been rejected considering all the grounds raised by the petitioner.

In view of the above, I find no merit in this application.

Accordingly, this application is dismissed.

(Sandeep Kumar, J)

Vikas/-

U		T	

WEB COPY